



संख्या-11 /2026/1/1480096/2026/001-77-4099-264-2025-2026

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,

संयुक्त सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीसीडा, लखनपुर,

कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 29.09.2026

विषय:- मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पत्र संख्या 1574/गीडा/भू०अ०-दो/1574/गीडा/भू०अ०-दो(बजट)/2026-27 दिनांक 12.06.2026, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के पत्रांक 550/यूपीसीडा/भू०अ० दिनांक 06.07.2026, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा के पत्र संख्या:-वाई०ई०ए०/वित्त/297/2026, दिनांक 01.07.2026 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्र संख्या:- 1977/यूपीडा/डिफेन्स कॉरिडोर/लेखा दिनांक 17.06.2026 द्वारा कुल ₹ 8000.00 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के क्रम में ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किए जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 02.08.2023 के प्रस्तर 2.2 (I) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.07.2026 को सम्पन्न बैठक में गीडा को ₹ 333.97 करोड़, यीडा को ₹ 2500.00 करोड़, यूपीसीडा को ₹ 2000.00 करोड़ एवं यूपीडा को ₹ 3166.03 करोड़ स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक 6875-अन्य उद्योगों के लिए कर्ज-60-अन्य उद्योग-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03-मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना-30 निवेश ऋण" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹0 500000.00 लाख तथा अनुपूरक के माध्यम से ₹0 300000.00 लाख अर्थात् कुल ₹0 800000.00 लाख में से गीडा को ₹0 33397.00 लाख, यीडा को ₹0 250000.00 लाख, यूपीसीडा को ₹0 200000.00 लाख एवं यूपीडा को ₹0 316603.00 लाख अर्थात् कुल ₹0 800000.00 लाख (₹0 आठ हजार करोड़) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के निर्वर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) उक्त ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि को आहरित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को ₹0 33397.00 लाख, यीडा को ₹0 250000.00 लाख, यूपीसीडा को ₹0 200000.00 लाख एवं यूपीडा को ₹0 316603.00 लाख उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर गीडा, यूपीडा, यीडा एवं यूपीसीडा द्वारा हस्ताक्षरित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के माध्यम से महालेखाकार उ०प्र० तथा वित्त विभाग उ०प्र० शासन एवं समस्त संबंधित को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- (3) निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के शासनादेश दिनांक 07.12.2023 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का एलॉटमेंट मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक निमनों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय किये जाने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) प्राधिकरणों द्वारा अर्जित ब्याज की सूचना निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय का लेखा जोखा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, यूपीडा, यीडा एवं यूपीसीडा द्वारा रखा जायेगा।

(7) यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिये आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्षक का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) यथासमय उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) कार्यों की द्वावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो इसे भी सम्बन्धित प्राधिकरण अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(12) सम्बन्धित प्राधिकरण योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(13) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(14) सम्बन्धित प्राधिकरण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 3 शासनादेश संख्या- 2/2017/ बी-3-1034/ दस/ 2017-100(4)/2002 ब 0 मै० दिनांक 21.11.2017 के प्रावधान तथा आवश्यकतानुसार बजट मैनुअल के पैरा- 94 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन अपने स्तर से प्राप्त कर लेंगे।

(15) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित प्राधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,00,00,000 (रुपये अस्सी अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6875601900300** मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण / नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना **मानक मद 30** निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-56-X-2026-27, दिनांक 29.09.2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मल कुमार शुक्ल),
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।
9. संबंधित कोषाधिकारी।
10. संबंधित वित्त नियंत्रक।
11. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 30प्र0 प्रयागराज।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार शुक्ल),
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।